छोटेलाल वगै0 बनाम रामअवतार वगै (प्रा.पत्र)
मु.नं. 130/2021

11.12.2024

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम खौहकला तहसील महवा की आराजी खसरा नं. 595/1.42, 597/0.76, 657/593/0.95 कुल किता 3 कुल रकबा 3.13 हैक्टेयर सायलान की कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि है जिससे अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 07 का कोई संबंध व वास्ता नही है। अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण की कब्जे काश्त भूमि पर बोई गई फसल को अपने जानवरों को छोडकर नष्ट करवाने के प्रयास करते है तथा कई बार उक्त आराजी मे प्रवेश करने का प्रयास करते है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी को खरीदने के लिये आये दिन प्रार्थीगण को परेशान करते रहते है। वाक्या दिनांक 28.07.2021 का है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी पर फसल की नडाई बुवाई कर रहे थे सभी प्रार्थीगण एकराय होकर कहने लगे कि उक्त आराजी को हमें बेच दे नही तो तुम्हे राजी खुशी उक्त आराजी में फसल काश्त नही करने देंगे। प्रार्थीगण ने उनसे कहा कि भाईयों हमारे पास फालतू भूमि नही है यही एक मात्र भूमि हमारे पास है। यदि इसे भी हम तुम्हें बेच देंगे तो हम हमारो बच्चो का पालन पोषण कैसे कर पायेंगे तभी उन्होने सायलान को धमकी दी कि अब हमउ क्त आराजी में पुख्ता निर्माण करेगें तथा उक्त आराजी को कृषि भूमि से अकृषि में परिवर्तित करेंगे तथा तुम पर जो बने सो कर लेना। गैरसायलान का उक्त भूमि से कोई संबंध किसी भी प्रकार का नही होने के बावजूद भी सायलान के कब्जे काश्त में दखलंदाजी पैदा करने का प्रयास करते है जिसकी उन्होने सायलान को धमकी दी है यदि गैरसायलान अपनी कुचेष्ठा में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्णनीय क्षति होगा जिसकी पूर्ति सायलान को किसी भी प्रकार से होना संभव नही होगी एवं सुविधा का संतुलन प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित है। अतः अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 07 की ओर से श्री गिरधर सिंह अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता [redacted] द्वारा जबाव पेश किया गया। जबाव में यह आराजी, आराजी के पूर्व खाते की अन्य आराजी जो पहले सायलान एवं गैरसायलान की संयुक्त शामिल खातेदारी थी और इसकी अपील न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा में विचाराधीन है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील उभय पक्ष की वहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत् 2074–2077 का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजी पर कब्जा कर सकता है जिससे प्रार्थीगण को अपूरनीय क्षति होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्याय संगत है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वादपत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि ग्राम खौहकला तहसील महवा की आराजी खसरा नं. 595/1.42, 597/0.76, 657/593/0.95 कुल किता 3 कुल रकबा 3.13 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के हिस्सा तक मूल वाद के निस्तारण तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद संलग्न रहे।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
महवा जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा